न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 99/2016 एल.आर.एक्ट

1. हरिराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर ।
2. रामनारायण पुत्र चूनाराम जाट निवासी नौरंगदेसर तह0 व जिला बीकानेर (मृतक)
   2/1 चुन्नीदेवी पत्नी स्व.रामनारायण 2/2. रामा पुत्री स्व.रामनारायण
   2/3 लेखराम पुत्र स्व. रामनारायण 2/4. किसना पुत्री स्व.रामनारायण
   2/5 कमला पुत्री स्व. रामनारायण 2/6. भादरराम पुत्र स्व.रामनारायण
   जाति जाट निवासीगण नौरंगदेसर तहसील बीकानेर ।
3. रेवन्तराम पुत्र चूनाराम जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर ।
4. श्रीराम पुत्र चूनाराम जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर ।

......अपीलान्ट्स

बनाम

1. पूराराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
2. सहीराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
3. मेघाराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
4. पेमादेवी पुत्री फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
5. सुरजादेवी पुत्री फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
6. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ।

................रेस्पोन्डेंट्स

अपील संख्याः 24/2017 एल.आर.एक्ट

1. हड़मानराम पुत्र रामेश्व जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला बीकानेर ।

.................अपीलान्ट

बनाम

1.पूराराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर

2. सहीराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
3. मेघाराम पुत्र फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
4. पेमादेवी पुत्री फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
5. सुरजादेवी पुत्री फुसाराम जाट निवासी लखावर तहसील लूणकरनसर जि0बीकानेर
6. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ।

.... रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः

1— श्री नरसाराम अभिभाषक अपीलान्ट ।

2— ,, भींवराज/श्यापतसिंह गोदारा अभिभाषकगण रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5

3—,, सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 23.4.2019

1. उपरोक्त दोनों अपीलें राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम् 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भू—अभिलेख बीकानेर के निर्णय दिनांक 1.6.2016 कैंप

संभागीय आयुक्त बीकानेर

नौरंगदेसर, जिसके द्वारा अपीलार्थी हरिराम वगैरह का वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया एवम् रेस्पोन्डेंट सं01 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये, के विरुध्द अपीलान्टस द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन आदेश के विरुध्द पेश की गयी है । अतः इन्हें एक ही निर्णय से निर्णीत किया जाता है ।

2. दोनों अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नौरंगदेसर तहसील बीकानेर में खाता सं0 509 के खसरा नं0 309, 310, 319, 371, 372, 373, 392, 393, 394, 395, 399, 500 = 12 खसरों की कुल 51.62 हैक्टेयर भूमि लाछी पुत्री नंदाराम जाट के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । श्रीमती लाछी ने अपने जीवनकाल में खसरा सं0 373, 392, 393, 395, 399 = 5 खसरों की कुल 12.26 हैक्टेयर भूमि की वसीयत दिनांक 26.10.12 को अपने रिश्ते के पोते अपीलान्ट हड़मानराम के पक्ष में एवम् अन्य खसरा नं0 309, 319, 371, 372, 394, 500 = 6 खसरों की कुल 20.90 हैक्टेयर भूमि अपने चाचा के पुत्र भाईयों अपीलान्ट सं0 2 ता 4 के नाम तथा शेष खसरा नं0 310 का रकबा 18.46 हैक्टेयर भूमि अपने भाई के लड़के अपीलान्ट सं01 हरिराम के पक्ष में दिनांक 2.1.2014 को वसीयत का निष्पादन कर दिया । श्रीमती लाछी का दिनांक 15.4.14 को देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट हड़मानराम द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 28.4.16 एवं संशोधित आदेश दिनांक 5.5.16 पारित कर मुताबिक वसीयत अपीलान्ट हड़मानराम के नाम से पांच खसरों का रकबा 12.26 हैक्टेयर भूमि का वसीयति नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया परन्तु मुताबिक आदेश तहसीलदार बीकानेर द्वारा वसीयति नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया ।

3. इसी प्रकार श्रीमती लाछी का देहान्त होने के पश्चात वसीयत दिनांक 2.1.2014 के अनुसार अपीलान्ट हरिराम वगैरह द्वारा तहसीलदार बीकानेर के समक्ष वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.4.16 को वसीयत के सम्बन्ध में बाद जांच लोक अदालत शिविर नौरंगदेसर में निर्णय दिनांक 1.6.2016 पारित कर मृतका खातेदार श्रीमती लाछी पत्नी फूसाराम जाट निवासी लखासर तहसील लूणकरनसर को अपने पिता नन्दाराम से प्राप्त कृषि भूमि की वसीयत करने का अधिकार नहीं मानते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 के अन्तर्गत श्रीमती लाछां के वारिसान रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 पूराराम, सहीराम, मेघाराम पुत्र फूसाराम व पेमादेवी, सुरजा देवी पुत्रियां फूसाराम जाट निवासी लखासर के नाम श्रीमती लाछी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त 51.62 हैक्टेयर भूमि के बाबत बहिस्सा बराबर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने का आदेश दिया एवम् आदेशानुसार विरास्तन इन्तकाल सं0 1371 दिनाक 22.6.2016 स्वीकृत कर दिया गया । तहसीलदार बीकानेर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.16 एवं उसकी पालना में दर्ज किये गये विरास्तन नामान्तरकरण सं0 137/22.6.16 के विरुध्द अपीलान्ट्स द्वारा इस न्यायालय में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गयी है ।

4. उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के निमित सम्मन जारी किये गये एवम् तहसीलदार, बीकानेर से अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अभिभाषक अपीलान्ट् का अपील सं0 99/2016 में कथन है कि ग्राम नौरंगदेसर तहसील बीकानेर में खाता सं0 509 के खसरा नं0 309, 310, 319, 371, 372, 373, 392, 393, 394, 395, 399, 500 = 12 खसरों की कुल 51.62 हैक्टेयर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भूमि लाछी पुत्री नंदाराम जाट के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । खातेदार श्रीमती लाछी ने अपने जीवनकाल में खसरा नं0 309, 319, 371, 372, 394, 500 कुल 6 खसरों की 20.09 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट सं0 2 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर एवं खसरा नं0 310 रकबा 18.46 हैक्टेयर खातेदारी भूमि अपीलान्ट सं0 1 हरिराम के पक्ष में दिनांक 2.1.14 को वसीयत का निष्पादन रुबरु गवाहान करवादी गयी। श्रीमती लाछी का दिनांक 15.4.14 को देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट्स द्वारा वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा दैनिक युगपक्ष में आपत्ति हतु आमसूचना का प्रकाशना करवाया गया, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के नाम से बहिस्सा बराबर नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । जबकि वसीयत कर्ता द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में वसीयत रुबरु गवाहान की गयी है, जिसमें वसीयत कर्ता की अन्तिम इच्छा दर्शाई है । हिन्दू उत्तराधिकार के अन्तर्गत वसीयत कर्ता श्रीमती लाछी प्रथम श्रेणी की एक मात्र वारिस होने से उसकी सम्पत्ति स्व अर्जित सम्पत्ति हो गई थी। उसे अपीलान्ट्स के पक्ष में वसीयत करने का पूर्ण अधिकार था । प्रकरण में वसीयति जांच के दौरान रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है । अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.16 एवं विरास्त इन्तकाल सं0 1371 निरस्त फरमाया जावे ।

6. इसी प्रकार अन्य अपील सं0 24/2017 अनवान हड़मानराम बनाम पूराराम आदि में अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि खातेदारी श्रीमती लाछी पुत्री नन्दाराम द्वारा खातेदार कृषि भूमि ग्राम नौरंगदेसर स्थित खसरा नं0 373 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नं0 392 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नं0 393 रकबा 5.64 हैक्टेयर, खसरा नं0 395 रकबा 1.89 हैक्टेयर, खसरा नं0 399 रकबा 1.46 हैक्टेयर = 5 खसरों का रकबा 12.26 हैक्टयर की वसीयत दिनांक 26.10.12 को रुबरु गवाहान निष्पादित की गयी, जो नोटेरी से प्रमाणित शुदा है । वसीयत कर्ता श्रीमती लाछी का दिनांक 15.4.14 को देहान्त हो जाने पर अपीलान्ट हड़मानराम द्वारा वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज करने हेतु निवेदन करने पर तहसीलदार बीकानेर द्वारा दैनिक समाचार पत्र दिनांक 27.11.14 में आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु आम सूचना का प्रकाशन करवाया गया एवं कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर बाद जांच आदेश दिनांक 28.4.16 एवं संशोधित आदेश दिनांक 5.5.16 पारित कर मुताबिक वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये । परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक आदेश वसीयत अनुसार नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया गया एवं अन्य प्रकरण सं0 10/2016 में श्रीमती लाछा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में = 12 खसरों की कुल 51.62 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में लोक अदालत कैंप नौरंगदेसर में आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित कर रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के नाम से बहिस्सा बराबर विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया, जबकि रेस्पोन्डेंट द्वारा विरास्तन इन्तकाल दर्ज करने हेतु कोई आवेदन नहीं किया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.16 एवं पालना में दर्ज विरास्त इन्तकाल सं0 1371 निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार, बीकानेर के आदेश दिनांक 28.4.16 एवं संशोधित आदेश दिनांक 5.5.16 की पालना में हड़मानराम के नाम वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे ।

7. अपील सं0 99/2016 एवम् अपील सं0 24/2017 में अभिभाषक रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 की ओर से भींवराज एवं श्योपतसिंह गोदारा अभिभाषकगण ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयति प्रकरण में इकतरफा तौर

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.16 पारित कर खातेदार वसीयतकर्ता श्रीमती लाछी के नाम से दर्ज समस्त 51.62 हैक्टेयर भूमि का रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के पक्ष में बहिस्सा बराबर–बराबर विरास्तन नामान्तरकरण सं0 1371/22.6.16 स्वीकृत किया गया है । वसीयत से सम्बन्धित उभय पक्ष का पारिवारिक मामला है । अतः यदि इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर दोनों अपीलों में वसीयत अनुसार अपीलान्ट्स के नाम से नामान्तरकरण दर्ज किया जाता है तो रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

8. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । उभय पक्ष की बहस एवम् रिकॉर्ड के अवलोकन अनुसार दोनों अपीलों में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. ग्राम नौरंगदेसर तहसील बीकानेर में खाता सं0 509 के खसरा नं0 309, 310, 319, 371, 372, 373, 392, 393, 394, 395, 399, 500 = 12 खसरों की कुल 51.62 हैक्टेयर भूमि श्रीमती लाछी पुत्री नंदाराम जाट के नाम से खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी ।

II. श्रीमती लाछी ने अपने जीवनकाल में अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 12 खसरों की 51.62 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में खसरा नं0 खसरा नं0 373 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नं0 392 रकबा 1.36 हैक्टेयर, खसरा नं0 393 रकबा 5.64 हैक्टेयर, खसरा नं0 395 रकबा 1.89 हैक्टेयर, खसरा नं0 399 रकबा 1.46 हैक्टेयर = 5 खसरों का रकबा 12.26 हैक्टयर भूमि की प्रथम वसीयत दिनांक 26.10.12 को अपीलान्ट हड़मानराम के पक्ष में एवम् खसरा नं0 309, 319, 371, 372, 394, 500 कुल 6 खसरों की 20.09 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट सं0 2 ता 4 के पक्ष में बहिस्सा बराबर एवं खसरा नं0 310 रकबा 18.46 हैक्टेयर खातेदारी भूमि अपीलान्ट सं0 1 हरिराम के पक्ष में दिनांक 2.1.14 को द्वितीय वसीयत का निष्पादन रुबरु गवाहान करवादी गयी।

III. वसीयत कर्ता श्रीमती लाछो का दिनांक 15.4.14 को देहान्त हो जाने पर प्रथम वसीयतगृहिता अपीलार्थी हड़मानराम द्वारा एवम् द्वितीय वसीयतगृहिता अपीलार्थी हरिराम वगैरह द्वारा न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर के समक्ष वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने हतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, जिसमें तहसीलदार, बीकानेर द्वारा वसीयति प्रकरण सं0 14/14 अनवान हड़मानराम बनाम स्टेट एवम् 10/16 अनवान हरिराम वगैरह बनाम स्टेट दर्ज किया जाकर वसीयत की सरसरी जांच की गयी, जिसमें वसीयति प्रकरण 14/14 अनवान हड़मानराम बनाम स्टेट में न्यायालय तहसीलदार बीकानेर ने बाद जांच आदेश दिनांक 28.4.16 एवं संशोधित आदेश दिनांक 5.5.16 पारित कर मुताबिक वसीयत श्री हड़मानराम के नाम से वसीयति नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये एवम् द्वितीय वसीयति प्रकरण सं. 10/16 अनवान हरिराम बनाम स्टेट में न्यायालय तहसीलदार बीकानेर द्वारा बाद जांच आदेश दिनांक 1.6.2016 पारित किया जाकर वसीयत करने का अधिकार नहीं मानते हुए श्रीमती लाछां के खाते में दर्ज समस्त 51.62 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के नाम से विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश दिये गये ।

9. इस प्रकार न्यायालय तहसीलदार बीकानेर द्वारा प्रथम वसीयति प्रकरण सं0 14/14 अनवान हड़मानराम बनाम स्टेट में आदेश दिनांक 28.4.16 एवं संशोधित आदेश दिनांक 5.5.16 पारित कर वसीयत दिनांक 26.10.12 को सही मानते हुए अपीलान्ट हड़मानराम के नाम से वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश पारित किया हुआ है, परन्तु उक्त आदेशानुसार हड़मानराम के नाम से वसीयति इन्तकाल दर्ज नहीं किया गया है । जबकि द्वितीय वसीयति प्रकरण सं0 10/16 अनवान हरिराम वगैरह बनाम स्टेट न्यायालय तहसीलदार बीकानेर द्वारा वसीयति जांच में श्रीमती लाछीं को वसीयत करने का अधिकार नहीं माना गया जो विरोधाभाषी आदेश है । वसीयति प्रकरण सं. 14/14 में न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर द्वारा वसीयत को सही मानते हुए अपीलान्ट हड़मानराम के नाम से वसीयत अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 28.4.16 व 5.5.16 पारित करने के बावजूद उसके नाम वसीयत अनुसार नामान्तरकण दर्ज नहीं किया गया एवम् श्रीमती लाछां के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त 52.61 हैक्टेयर भूमि का बहिस्सा बराबर–2 विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 1.6.16 त्रुटिपूर्ण आदेश है । प्रकरण में रेस्पोन्डेंट सं0 1 ता 5 के अभिभाषकगण द्वारा हमारे समक्ष अपीलान्ट हरिराम वगैरह एवम् हड़मानराम के नाम से वसीयति नामान्तरकरण दर्ज करने में अनापत्ति जाहिर की गयी है ।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.6.16 एवम् आदेश की पालना में दर्ज किया गया विरास्तन इन्तकाल सं0 1371 दिनांक 22.6.16 निरस्त किया जाता है । दोनों अपीलों के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती लाछीं के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज समस्त भूमि के सम्बन्ध में मुताबिक वसीयत अपील सं0 24/17 के अपीलार्थी हड़मानराम एवम् अन्य अपील सं0 99/2016 के अपीलार्थी अपीलान्ट सं0 1 हरिराम अपीलान्ट सं0 2 मृतक रामनारायण के वारिसान एवं अपीलान्ट सं0 3–4 के पक्ष में वसीयति नामान्तरकरण दर्ज किया जावे ।

11. तद्नुसार दोनों अपील अपीलान्ट्स निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.4.19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त
बीकानेर